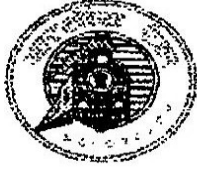


पूर्वोत्तर रेलवे



कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०नं०- 11-06
क्रमांक-58/2017
आरबीई सं०-12/2017
सं० ई/283/भाग-3/चार

दिनांक 5-04-2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-व्यापक स्थानान्तरण नीति- 5 वर्ष की सेवा शर्त से छूट।

28/4 रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)1-2015/टीआर/20 दिनांक 10.02.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(ए० के० सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर०-02 प्रतियों में।
- 5- मुकायाधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

द्वय-युवा

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)-2015/टीआर/20

महाप्रबंधक (पी),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
(मानक सूची के अनुसार)

NER

विषय: व्यापक स्थानांतरण नीति- 5 वर्ष की सेवा शर्त से छूट।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 31.08.2015 का पत्र सं. ई(ओ)।।।-2014/पीएल/05

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र के पैरा (xi) की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी के मामले में, उसके द्वारा रेलवे ज्वाइन करने के पांच (05) वर्ष पूरा होने तक किसी भी अंतर-रेलवे स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. क्षेत्रीय रेलों द्वारा पांच वर्ष की शर्त, विशेष रूप से आपसी अदला-बदली के आधार पर, पत्नी/पति (स्पाउज़) आदि के आधार पर किए गए स्थानांतरण के अनुरोधों की स्वीकार्यता के संबंध में, स्पष्टीकरण मांगा गया है। दोनों कर्मचारी संगठनों अर्थात् एआईआरएफ एवं एनएफआईआर ने भी यह मुद्दा उठाया है। तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और बोर्ड के ऊपर संदर्भाधीन पत्र में शाश्वत आशोधन करते हुए, अब यह विनिश्चय किया गया है कि अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में निम्नलिखित कोटियों के स्थानांतरण में पांच (05) वर्ष की न्यूनतम सेवा की शर्त से छूट प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है:-

- आपसी अदला-बदली के आधार पर मांगा गया स्थानांतरण;
- पत्नी-पति (स्पाउज़) के आधार पर मांगा गया स्थानांतरण;
- ऐसे रेलवे कर्मचारी जिसे दिव्यांग बच्चे की देखभाल करनी हो और
- शारीरिक रूप से दिव्यांग रेलवे कर्मचारी.

3. ऐसे स्थानांतरणों को शासित करने वाले अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

कृपया पावती दें।

[Signature]
(एम.के. मीना)

उप निदेशक स्थापना (एन)
रेलवे बोर्ड

666
Dyep/111
27/3/17
20/3/17
1/3/17

नई दिल्ली, दिनांक 10.02.2017
pl. circulate
29/3
20/3/17
21/03/17
Dyep/111
27/3/17